

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2010—पौष 14, शक 1931

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

क्र. एफ.-2-1-2009-बाईस-पं.-2.—मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तों) नियम, 2005 के अन्तर्गत निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार संविदा शाला शिक्षक बतौर पूर्व में चयनित नहीं हो पाने वाले मध्यप्रदेश शिक्षा गारंटी शालाओं के वर्तमान में कार्यरत गुरूजी एवं पर्यवेक्षक तथा सरकार के तत्कालीन औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्र के अनुदेशक एवं पर्यवेक्षक जो कि इस योजना के बंद होने के समय कार्यरत थे, को एक और अवसर प्रदान करने के लिए परीक्षा का स्तर एवं चयन के मापदण्ड आदेश दिनांक 3 मई 2008 एवं 26 सितम्बर 2008 द्वारा पृथक् योजना के अन्तर्गत निर्धारित किये गये. इस पृथक् योजना अन्तर्गत आयोजित पात्रता परीक्षा में अर्ह घोषित किये गये अभ्यर्थियों को संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 3 के पद पर नियुक्ति हेतु मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्र. एक सन् 1994) की धारा 70 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तों) नियम, 2005 में, जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गये अनुसार "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 29 जुलाई 2009 को पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 7 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"7-क. वर्तमान में कार्यरत मध्यप्रदेश शिक्षा गारंटी स्कीम के गुरूजी/पर्यवेक्षकों तथा सरकार के तत्कालीन औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों तथा पर्यवेक्षकों में से संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 3 के पद पर नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध—

(1) वर्तमान में मध्यप्रदेश शिक्षा गारंटी स्कीम के कार्यरत तथा नियमानुसार नियुक्त किए गए गुरूजी तथा पर्यवेक्षकों की संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 3 के पद पर नियुक्ति की जा सकेगी.

- (2) सरकार के तत्कालीन औपचारिकतर शिक्षा केन्द्र के अनुदेशकों तथा पर्यवेक्षकों की, जिसने 31 मार्च 2000 को एक वर्ष तक नियमित रूप से कार्य किया हो या 31 मार्च तथा 29 अगस्त 2000 के बीच की किसी भी दिनांक तक एक वर्ष तक नियमित रूप से कार्य किया हो, संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 3 के पदों पर नियुक्ति की जा सकेगी.
 - (3) उपनियम (1) एवं (2) के अधीन नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को ऐसी एजेंसी द्वारा जो राज्य सरकार के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, संचालित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिये.
 - (4) पात्रता परीक्षा केवल दो बार आयोजित की जाएगी तथा मानक और न्यूनतम अर्हक अंक राज्य सरकार के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे.
 - (5) उपनियम (3) के अधीन परीक्षा में उपस्थित होने हेतु अभ्यर्थी को ऐसी अर्हता रखनी चाहिए जो इन नियमों की अनुसूची दो के अनुक्रमांक 3 के सामने कॉलम (5) में विहित की गई है.
 - (6) संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 3 के पद पर नियुक्ति के पश्चात् अभ्यर्थी इन नियमों में विहित किए गए अनुसार वही संविदा रकम या ऐसी रकम, जो वे अपने पूर्व पद पर प्राप्त कर रहे थे, इनमें से जो भी अधिक हो, प्राप्त करेंगे.
 - (7) उक्त नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष से अधिक नहीं होगी.
 - (8) इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पश्चात्, अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी, जैसे कि इन नियमों में विहित की जाए.”
2. अनुसूची दो में अनुक्रमांक 3 में शीर्षक “नोट (क) अर्हताएं”, के अधीन खण्ड (4) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

- “(4) सरकारी स्कूलों के लिए नियुक्त मानसेवी शिक्षकों तथा व्यावसायिक शिक्षा के अंशकालिक शिक्षक को 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में बारह वर्ष की छूट दी जाएगी.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2010

पृ.क्र. एफ-2-1-2009-पी-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, उपसचिव.

Bhopal, the 4th January 2010

No. F-2-1-2009-XXII-P-2.—To provide an opportunity to Gurujis and Supervisors of Madhya Pradesh Education Guarantee Scheme who are presently working as such and Instructors and Supervisors of erstwhile Government Non Formal Education Centers, who were working when the scheme was closed, who would not be selected previously as Samvida Shala Shikshak as per the procedure of selection prescribed in the Madhya Pradesh Panchayat Samvida Shala Shikshak (Employment and Conditions of Contract) Rules, 2005, a separate scheme was formulated under which different level of examination and selection criteria were fixed by order dated 3rd May 2008 and 26th September 2008, under a separate scheme. To appoint the candidates, who have been declared successful in separate eligibility examination conducted under this scheme, on the post of Samvida Shala Shikshak Grade 3. The State Government, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with

sub-section (2) of Section 70 of Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), hereby makes the following amendments in Madhya Pradesh Panchayat Samvida Shala Shikshak (Employment and Conditions of Contract) Rules, 2005, the same having been previously published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated 29th July, 2009 as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. After rule 7, the following rule shall be inserted, namely:—

"7-A. Special provision for appointment on the post of Samvida Shala Shikshak Grade 3 from present working Guruji/Supervisors of Madhya Pradesh Education Guarantee Scheme and Instructors and Supervisors of erstwhile Government Non Formal Education Centers.

- (1) The present working and as per rule appointed Guruji and Supervisors of Madhya Pradesh Education Guarantee Scheme may be appointed on the post of Samvida Shala Shikshak Grade 3.
- (2) Instructors and Supervisors of erstwhile Government Non Formal Education Centers who had worked continuously for one year as on 31st March 2000 or worked continuously up to one year till any date in between the 31st March and 29th August 2000, may be appointed on the post of Samvida Shala Shikshak Grade 3.
- (3) For the appointment under sub-rule (1) and (2) the candidate should pass the eligibility examination conducted by such an agency as may be specified by the order of the State Government.
- (4) Eligibility examination shall be organised only two times and the norms and minimum qualifying marks as may be specified by executive order of the State Government.
- (5) For appearing in the examination under sub-rule (3) the candidate should possess the qualification as prescribed in column (5) against serial number 3 of Schedule-II of these rules.
- (6) After appointment on the post of Samvida Shala Shikshak Grade 3, the candidate shall get the same contract amount as prescribed in these rules or as they were getting on the previous post, whichever is more.
- (7) The maximum age limit should not be more than 62 years for said appointment.
- (8) After the appointment under this rule, the other service conditions shall be such as prescribed in these rules."

2. In Schedule II, in serial number 3, under the heading "Note (a) Qualifications", for clause (4), the following clause shall be substituted, namely:—

"(4) The Honorary Teachers appointed for Government schools and part time Teacher of vocational Education shall be given twelve years relaxation in maximum age limit of 35 years."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
URMILA SURENDRA SHUKLA, Dy. Secy.